एल्ट्रा इंडस्ट्रियल मोशन कॉर्पोरेशन

तृतीय पक्ष आचार संहिता

एल्ट्रा इंडस्ट्रियल मोशन कॉर्पोरेशन ("एल्ट्रा") में, हम और हमारी सहायक कंपनियां हमारे व्यवसाय के समस्त पहलुओं में उत्कृष्ट मानक कायम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें सभी व्यक्तियों के अधिकारों और पर्यावरण का सम्मान करते हुए हमारे समस्त परिचालनों को अखंडता सहित निष्पादित करना शामिल है। चूंकि हमारी प्रतिष्ठा न केवल अपने आचरण पर आधारित है बल्कि उन लोगों के कार्य-कलापों पर भी आधारित है जिनके साथ हम व्यवसाय करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि एल्ट्रा के साथ व्यवसाय करने वाले सभी आपूर्तिकर्ता, व्यावसायिक साझेदार, ठेकेदार, विक्रेता, अभिकर्ता, सलाहकार, और अन्य तृतीय पक्ष (सामूहिक रूप से, "तृतीय पक्ष") और उसकी सहायक कंपनियां भी समान प्रतिबद्धताओं को साझा करेंगी। एल्ट्रा और इसकी सहायक कंपनियां प्रत्येक तृतीय पक्ष को उन सभी गतिविधियों में निम्नलिखित मानकों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एल्ट्रा या इसकी सहायक कंपनियों से संबंधित हैं। इन मानकों का अनुपालन न करने वाले तृतीय पक्षों, के एल्ट्रा या एल्ट्रा की प्रयोज्य सहायक कंपनियों के साथ व्यवसाय संबंध समाप्त हो सकते हैं।

तृतीय पक्ष एवं एल्ट्रा या एल्ट्रा की प्रयोज्य सहायक कंपनियों के मध्य सहमति होने के अन्यथा तृतीय पक्षों द्वारा उप-ठेकेदारों के उपयोग पर किसी प्रतिबंध सहित, तृतीय पक्ष एल्ट्रा या एल्ट्रा की किसी प्रयोज्य सहायक कंपनियों के संबंध में किसी भी उप-ठेकेदार का उपयोग नहीं करेगा जब तक उप-ठेकेदार को इस तृतीय पक्ष आचार संहिता (इस “संहिता”) की प्रति न मिल जाए। तृतीय पक्ष के उप-ठेकेदारों को यह संहिता वितरित करने के अतिरिक्त, एल्ट्रा अपेक्षा करता है कि तृतीय पक्ष यथार्थ कदम उठाएंगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि एल्ट्रा या एल्ट्रा की सहायक कंपनियों के साथ व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, सलाहकारों, एवं ठेकेदारों को यह संहिता संचारित की जाएगी और/या उपलब्ध करवाई जाएगी।

सामान्य

एल्ट्रा और/या इसकी सहायक कंपनियों के साथ काम करने वाली तृतीय पक्ष के रूप में, तृतीय पक्ष उत्पादों एवं सेवाओं पर लागू होने वाली उन सभी विधियों और विनियमों को समझेगा और उनका अनुपालन करेगा जिसके लिए तृतीय पक्ष एल्ट्रा और इसकी सहायक कंपनियों के साथ व्यवसाय कर रहा है, और साथ ही बिना किसी सीमा के इसके उद्योगों के मानकों समेत विनिर्माण, मूल्य निर्धारण, बिक्री, वितरण, लेबलिंग, परिवहन, सामान का आयात और निर्यात और सेवाओं से संबंधित कानूनों

और विनियमों का पालन भी करेगा। इस शर्त को सीमित किए बिना, तृतीय पक्ष निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा: (क) एल्ट्रा और इसकी सहायक कंपनियों सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थान के बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन, गबन, अतिक्रमण; या (ख) ऐसी किसी भी गतिविधि में संलग्न होना जो (1) रिश्वत, भ्रष्टाचार, या गैर-कानूनी भुगतान से जुड़ी हो (2) अनुचित प्रतिस्पर्धा या अनुचित या कपटी व्यापार प्रथाएं अपनाना, (3) पर्यावरण, (4) स्वास्थ्य और सुरक्षा, (5) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमे बिना सीमा निर्यात और आयात शामिल है, (6) डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा, (7) पैसों के घोटाले, (8) श्रम और रोजगार, (9) सरकारी संस्थाओं के साथ अनुबंध पर लागू होने वाली विधियों या विनियमों, और यहां वर्णित किसी भी अन्य विधि या तृतीय पक्ष द्वारा एल्ट्रा या इसकी सहायक कंपनियों को उन सभी स्थानों पर प्रदान किए जाने वाले उत्पादों या सेवाओं, जहाँ तृतीय पक्ष वैश्विक रूप से अपना व्यवसाय संचालित करता है, पर अन्यथा लगू होती समस्त विधियों का उल्लंघन नहीं करेगा।

अखंडता एवं अनुपालन

तृतीय पक्ष अपने व्यवसायों के संचालन में उच्चतम मानक की अखंडता के प्रति कटिबद्ध रहेगा। विशेष रूप से:

- भ्रष्टाचार, रंगदारी, या गबन; अनुचित लाभ: तृतीय पक्ष किसी भी रूप में भ्रष्टाचार, रंगदारी या गबन में शामिल नहीं होगा, रिश्वत देगा या स्वीकार नहीं करेगा, या अनियत या अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी अन्य साधनों का उपयोग नहीं करेगा। तृतीय पक्ष को बिना किसी सीमा के अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार प्रथा अधिनियम, यूके एंटी-ब्राइबरी अधिनियम, ओईसीडी एंटी-ब्राइबरी संधि, और सभी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोधी संधि समेत उस अधिकार क्षेत्र में लागू सभी भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों और विनियमो का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, तृतीय पक्ष किसी भी अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, प्रतिनिधि या एल्ट्रा या उसकी सहायक कंपनियों के अभिकर्ताओं को रिश्वत या किकबैक या किसी अन्य अनुचित भुगतान या अनुचित उपहार नहीं देगा। तृतीय पक्ष ऐसी किसी भी परिस्थितियों में तत्काल सूचित करेगा जहां एक अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, प्रतिनिधि, या एल्ट्रा या उसकी सहायक कंपनियों के अभिकर्ता ने तृतीय पक्ष के ऐसी कोई भी अनुचित अनुरोध या मांग की हो।
- लेखांकन का अभिलेख: तृतीय पक्ष के लेखांकन का अभिलेख (1) प्रत्येक क्षेत्राधिकार में लागू सभी नियमों के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए और प्रस्तुत किया जाना चाहिए, (2) उचित विवरण में, सटीक और उचित रूप से लेनदेन, संपत्तियां, देयताएँ, राजस्व, और व्यय प्रदर्शित होना चाहिए, और (3) कोई भी झूठी या भ्रामक प्रविष्टियां शामिल नहीं होनी चाहिए।
- हितों का संघर्ष: जब एल्ट्रा का कोई कर्मचारी या तृतीय पक्ष का कोई कर्मचारी एल्ट्रा या एल्ट्रा की सहायक कंपनियों के हित के बजाय अपने निजी या व्यावसायिक हितों का समर्थन

करता है, तब व्यक्तिगत या संगठनात्मक हित-संघर्ष उत्पन्न होता है। हितों में संघर्ष तब भी उत्पन्न होता है जब एल्ट्रा के कर्मचारियों या तृतीय पक्ष के कर्मचारियों के व्यावसायिक गतिविधियों या वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न कोई उत्तरदायित्व या परिस्थिति उसके निर्णय में पक्षपात लाता है या एल्ट्रा या इसकी सहायक कंपनियों की तरफ से कर्तव्यों के निर्वहन में उसके उद्देश्यों को दूषित कर देता है या अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का कारण बनता है। एल्ट्रा के कर्मचारी और तृतीय पक्ष के कर्मचारी किसी सीमा के बिना एल्ट्रा या एल्ट्रा की सहायक कंपनियों की प्रतिष्ठा कायम रखते हुए किसी भी वास्तविक या प्रकट होने वाली हित संघर्ष को टालेंगे, निष्प्रभावित करेंगे, या शमन करेंगे और कभी कोई ऐसा आचरण नहीं दखाएंगे, जो संभवतः, एल्ट्रा या एल्ट्रा की सहायक कंपनियों के लिए हानिकारक हो या हानिकारक है।

- <u>उल्लंघनों की सूचना देना; प्रतिशोध न लेना</u>: तृतीय पक्ष से एक नीति के गठन की अपेक्षा है जो गैर-कानूनी और अनुचित आचरण को प्रतिबंधित करे और कर्मचारियों और तृतीय पक्षों के अन्य प्रतिनिधियों को समस्याओं की सूचना देने और घटनाओं की जांच और समाधान करने की प्रक्रिया प्रदान करे। तृतीय पक्ष को सद्भाव से दुर्व्यवहार, धमकी, भेदभाव, उत्पीड़न, या कानून या इस संहिता के किसी भी नियमों के उल्लंघन के बारे में सूचना देने वाले या किसी सूचना के छानबीन में सहायता करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ प्रतिशोध बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।

श्रम और रोजगार की प्रथाएं एवं वैश्विक मानव अधिकार

एल्ट्रा और इसकी सहायक कंपनियां मानव मानवाधिकार नियमों को पहचानने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तृतीय पक्ष को सभी लागू श्रम और रोजगार कानूनों और विनियमों का पालन करना होगा। विशेष रूप से:

- <u>क्षतिपूर्ति</u>: तृतीय पक्ष न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम और क्षतिपूर्ति के अन्य तत्वों से संबंधित नियमों और विनियमों समेत लागू सभी वेतन, घंटा नियम और विनियमों का अनुपालन करेगा और कानूनी रूप से अनिवार्य समस्त लाभ प्रदान करेगा।

- <u>काम करने का समय</u>: तृतीय पक्ष लागू सभी कानूनों और विनियमों के अनुपालन में कार्य के समय की व्यवस्था करेगा। तृतीय पक्ष कर्मचारियों को लागू कानूनों और विनियमों के तहत काम करने के स्वीकार्य नियमित और ओवरटाइम समय से अधिक समय तक काम करने की अनुमति नहीं देगा।

- <u>बलपूर्वक श्रम/ कैदी श्रम</u>: तृतीय पक्ष बलपूर्वक या अनैच्छिक श्रम का उपयोग नहीं करेगा, जिसमे कैदी, बंधुआ मजदूर या अनुबंधित श्रम शामिल हैं, या किसी भी तरह की मानव तस्करी में शामिल नहीं होगा।

- बाल श्रम: तृतीय पक्ष बाल श्रम का उपयोग नहीं करेगा। "बाल" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति (1) जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, या (2) जिसकी आयु लागू कानूनों और विनियमों के तहत रोजगार के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु से कम है। इसके अलावा, तृतीय पक्ष नाबालिगों के रोजगार के संबंध में लागू सभी कानूनों और विनियमों का पालन करेगा।

- उचित व्यवहार: लागू रोजगार और श्रम कानूनों और विनियमों के अनुरूप, तृतीय पक्ष प्रत्येक कर्मचारी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करेगा और श्रमिकों को धमकाएगा नहीं तथा उनके साथ सख्त और अमानवीय व्यवहार नहीं करेगा, तथा यौन उत्पीड़न, यौन दुराचार नहीं करेगा और शारीरिक दंड, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना या गाली नहीं देगा।

- संघ बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक रूप से सौदाकारी: तृतीय पक्ष लागू कानूनों और विनियमों के अधीन दी गई अनुमति के अनुसार श्रमिकों के संघ बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक रूप से सौदाकारी करने के अधिकार को पहचानेगा और इसका सम्मान करेगा। एक नियोक्ता के रूप में, तृतीय पक्ष कर्मचारी शिकायतों जैसे विवादों को हल करने और कर्मचारियों के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रणाली और तंत्र को विकसित और कार्यान्वित करेगा।

- भेदभाव: तृतीय पक्ष किसी भी कर्मचारी को रोजगार देने में गैर-कानूनी रूप से भेदभाव नहीं करेगा और जाति, यौन अभिविन्यास, लिंग की पहचान, रंग, आयु, लिंग, राष्ट्रीय मूल, अक्षमता, धर्म, या किसी भी अन्य कानूनी रूप से संरक्षित विशेषता के आधार पर कोई प्रथाएं नहीं अपनाएगा।

पर्यावरणीय, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

एल्ट्रा और इसकी सहायक कंपनियां यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनके तृतीय पक्ष अपने उत्पादों और सेवाओं के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव से अवगत हों। इसके अलावा, एल्ट्रा और इसकी सहायक कंपनियों को तृतीय पक्ष से अपेक्षा है कि वे सभी कर्मियों और हितधारकों के लिए एक ऐसा कार्य पर्यावरण प्रदान करेंगे और बनाए रखेंगे जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित लागू सभी संघीय, राज्यीय, देशीय, प्रांतीय और नगरपालिका कानूनों और नियमों को पूरा करता हो। तृतीय पक्ष लागू सभी पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों और विनियमों का पालन करेगा। विशेष रूप से:

- कार्यस्थल की सुरक्षा एवं आपातकाल योजना: तृतीय पक्ष को बैठक संचालित कर, तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पूरा करने का प्रयास कर कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करना चाहिए। तृतीय पक्ष को आग, बिखराव (स्पिल) और प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों को संभालने के लिए निश्चित प्रक्रियाएं तैयार करनी चाहिए।

- पर्यावरणीय सुरक्षा: तृतीय पक्ष को प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा को बचाने, अपशिष्ट और खतरनाक पदार्थों के उपयोग को कम करने, और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनीकृत करने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए।

प्रबंधन प्रणालियाँ; अनुवीक्षण एवं अनुपालन; सूचना

एल्ट्रा और इसकी सहायक कंपनियों को प्रत्येक तृतीय पक्ष से अपेक्षा है कि वे इस संहिता का अनुपालन करने के लिए आवश्यक नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं पर कार्यान्वयन और प्रबंधन करेंगे। इसके अलावा, एल्ट्रा और इसकी सहायक कंपनियां तृतीय पक्ष से अपेक्षा करते हैं की वे सक्रिय रूप से अपनी गतिविधियों की अनुवीक्ष करेंगे और तृतीय पक्ष के व्यवसाय या एल्ट्रा और इसकी सहायक कंपनियों के व्यवसाय के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्याओं के बारे में सद्भाव से सूचित करेंगे। विशेष रूप से:

- प्रबंधन प्रणाली एवं संचार: तृतीय पक्ष को एक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और प्रबंधन करनी चाहिए जो यथार्थ रूप से इस संहिता के अनुपालन, इसमें पहचाने गए जोखिमों के शमन, और इसके संबंध में निरंतर सुधार में सहायता की पुष्टि करता हो। एल्ट्रा अपने तृतीय पक्ष से अपेक्षा करता है कि वह अपने समस्त अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों, अभिकर्ताओं, और उप-ठेकेदारों को उचित रूप से यह संहिता संचारित करने के लिए उचित कदम उठाना सुनिश्चित करेगा।

- अनुवीक्षा एवं अनुपालन: तृतीय पक्ष को इस संहिता के अनुपालन का प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों का रखरखाव करना चाहिए और एल्ट्रा या इसकी प्रयोज्य सहायक कंपनियों के अनुरोध पर उन्हें ये दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा। तृतीय पक्ष समझता है कि एल्ट्रा, इसकी सहायक कंपनियां, और/या इसके नामित अभिकर्ता (तृतीय पक्ष समेत) इस संहिता के अनुपालन का आंकलन करने के लिए अनुवीक्षा कार्य में संलग्न हो सकते हैं, और स्थल-पर सुविधाओं का निरीक्षण और बही-खातों और अभिलेखों की पुनरीक्षा कर सकते हैं। तृतीय पक्ष समझता है कि तृतीय पक्ष के अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और अभिकर्ताओं द्वारा इस संहिता के पूर्ण अनुपालन के लिए तृतीय पक्ष पूरी तरह उत्तरदायी है।

- सूचना देना: तृतीय पक्ष या एल्ट्रा या इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा कोई अनुचित व्यवहार होने के बारे जानकारी मिलने या संदेह होने पर अनुपालन और नैतिकता हॉटलाइन (यू.एस. टोल-फ्री: 1-866-368-1905) के माध्यम से तृतीय पक्ष एल्ट्रा को तुरंत सूचित करेगा।

देश	अनुपालन और नैतिकता हॉटलाइन
Australia	1-800-551-155 *(Optus)* 1-800-881-011 *(Telstra)* At English prompt dial: 866-368-1905
Austria	0-800-200-288 At English prompt dial: 866-368-1905
Belgium	0-800-100-10 At English prompt dial: 866-368-1905
Brazil	0-800-888-8288 *(Cellular)* 0-800-890-0288 At English prompt dial: 866-368-1905
Canada	1-855-350-9393 1-866-368-1905 *(U.S.)*
Chile	800-225-288 (*Telmex – 800)* 800-800-288 (*Telefonica)* 800-360-311 (*ENTEL)* 800-360-312 (*ENTEL - Spanish Operator)* 800-800-311 (*Easter Island))* 800-800-312 (*Easter Island - Spanish Operator)* At English prompt dial: 866-368-1905
China	400-6-612-681
Czech Republic	800-142-723
Denmark	800-100-10 At English prompt dial: 866-368-1905
Finland	0800-9-13348
France	0800-90-0311
Germany	0-800-225-5288 At English prompt dial: 866-368-1905
Hong Kong	800-93-2266 800-96-1111 At English prompt dial: 866-368-1905
India	000-117 At English prompt dial: 866-368-1905

Italy	800-172-444 At English prompt dial: 866-368-1905
Japan	0034-811-001 (*NTT)* 00-539-111 (*KDDI)* 00-663-5111 (*Softbank Telecom)* At English prompt dial: 866-368-1905
Mexico	001-844-258-1805
Russia	363-2400 (*St. Petersburg)* 363-2400 (*Moscow)* 8^10-800-110-1011 8^495-363-2400 *(Outside Moscow)* 8^812-363-2400 *(Outside St. Petersburg)* *(^ indicates second dial tone)* At English prompt dial: 866-368-1905
Scotland	0808-234-0190
Singapore	800-001-0001 (*StarHub)* 800-011-1111 (*SingTel)* At English prompt dial: 866-368-1905
Slovakia	0-800-000-101 At English prompt dial: 866-368-1905
South Africa	0-800-99-0123 At English prompt dial: 866-368-1905
South Korea	00-309-11 (*Dacom)* 00-369-11 (*ONSE)* 00-729-11 (*Korea Telecom)* 550-2872 (*U.S. Military Bases – Dacom)* 550-4663 (*U.S. Military Bases – Korea Telecom)* At English prompt dial: 866-368-1905
Spain	900-99-0011 At English prompt dial: 866-368-1905
St. Kitts	5037471900
Sweden	00-358-800-9-13348* ** temporary number until Swedish number is received, please feel free to use this number or report a concern via the* *Whistleblower Hotline web intake portal*

Switzerland	0-800-890011 At English prompt dial: 866-368-1905
Taiwan	00-801-102-880 At English prompt dial: 866-368-1905
Thailand	1-800-0001-33 At English prompt dial: 866-368-1905
Turkey	0811-288-0001 At English prompt dial: 866-368-1905
UK	0808-234-0190
US	1-866-368-1905